

संक्षिप्त अवलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन हरियाणा सरकार के सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। प्रतिवेदन में 11 अध्याय शामिल हैं जिनमें 'हरियाणा में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और 25 अनुच्छेद शामिल हैं।

सिविल

अध्याय 2: अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (विभाग)

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण एक विस्थापित दावेदार को बहुत कम दर पर प्लॉट आबंटित करने पर ₹ 1.97 करोड़ की हानि हुई, जिसका अनुचित लाभ अंततः एक गैर-विस्थापित व्यक्ति को प्लॉट के आबंटन के चार महीने के भीतर उसके हस्तांतरण/पुनःहस्तांतरण की अनुमति देकर दिया गया।

(अनुच्छेद 2.2)

वन विभाग द्वारा विद्यमान दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निवल वर्तमान मूल्य की गलत मांग और परिवर्तित वन भूमि के स्वामित्व मूल्य की कोई मांग न करने के कारण राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण में निधियों की वसूली में ₹ 22.63 करोड़ की महत्वपूर्ण कमी आई।

(अनुच्छेद 2.3)

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को समय पर भुगतान करने में संबंधित 191 मांगकर्ता संस्थाओं के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की अक्षमता के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के भुगतान में विलंब हुआ और जुर्माना लगाया गया, जिससे अंततः राज्य के खजाने पर ₹ 8.29 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार पड़ा।

(अनुच्छेद 2.4)

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा लोक निर्माण विभाग संहिता के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, कैथल और पानीपत में चार कार्य चार से पांच वर्षों के बाद भी अपूर्ण रहे, जिससे ₹ 25.86 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

(अनुच्छेद 2.5)

महिला एवं बाल विकास विभाग ने "सुरक्षित भविष्य योजना" के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची का अनुरक्षण करने और समय-समय पर इसे अद्यतन करने के लिए तंत्र विकसित नहीं किया, जिसके कारण भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 12.66 करोड़ के प्रीमियम का अधिक भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 2.7)

राजस्व सेक्टर

अध्याय 3: सामान्य

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 78,091.69 करोड़ की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 89,194.69 करोड़ थी। इसमें से, 80.39 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 62,960.80 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 8,742.63 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 19.61 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 10,378 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 7,113.26 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था।

(अनुच्छेद 3.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से संबंधित 117 यूनियों के अभिलेखों की वर्ष 2022-23 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 2,516 मामलों में कुल ₹ 260.24 करोड़ के कर के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 1,980 मामलों में आवेष्टित ₹ 79.04 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

(अनुच्छेद 3.10)

अध्याय 4: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय सांविधिक प्रपत्रों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 5.90 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

(अनुच्छेद 4.3)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय सकल टर्नओवर/करयोग्य टर्नओवर के आधार पर मामलों का निर्धारण ₹ 33.04 करोड़ के स्थान पर ₹ 25.34 करोड़ किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 87.87 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

अध्याय 5: स्टाम्प शुल्क

73 मामलों में संयुक्त करारों के गलत वर्गीकरण/अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 23.37 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 5.3)

218 विलेखों में, कृषि भूमि की दरों का उपयोग करते हुए ₹ 28.69 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई थी। तथापि, भूमि अभिलेखों (जमाबंदी) से पता चला कि वे आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक प्लॉट/भूमि थे। इस प्रकार, ₹ 46.51 करोड़ उद्ग्रह्य थे। इससे स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस संग्रह में ₹ 17.82 करोड़ की कमी आई।

(अनुच्छेद 5.4)

सात डेवलपर्स ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (1)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संयुक्त करारों के पंजीकरण का अपवंचन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.99 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.5)

114 किसानों ने जनवरी 2014 के बाद प्राप्त मुआवजे/अवार्ड से कृषि भूमि खरीदी और स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस में छूट का लाभ उठाया। चूंकि ऐसे मामलों में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस में किसी छूट की अनुमति नहीं थी, परिणामस्वरूप ₹ 2.23 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 5.6)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को गलती से सरकारी इकाई मानते हुए ₹ 1.36 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और एवं पंजीकरण फीस के भुगतान से छूट की अनुमति दी।

(अनुच्छेद 5.7)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने कृषि भूमि के लिए निर्धारित सामान्य दरों पर प्राइम खसरा भूमि का गलत निर्धारण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 5.8)

वाणिज्यिक

अध्याय 6: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2023 तक, राज्य में 37 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (दो सांविधिक निगम और तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित 35 सरकारी कंपनियां) थे। 2022-23 में 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ की सूचना दी, जबकि 2021-22 में 20 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने लाभ की सूचना दी थी। अर्जित लाभ 2021-22 में ₹ 648.75 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 1049.20 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अपने अंतिमकृत नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹ 51.05 करोड़ की हानि सूचित की। 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से चार राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का निवल मूल्य उनकी संचित हानि के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया था।

(अनुच्छेद 6.1.3, 6.3.1, 6.5.1 और 6.5.2)

अध्याय 7: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की पर्यवेक्षण भूमिका

30 सितंबर 2023 तक, 34 सरकारी कंपनियों से वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण देय थे। तथापि, केवल नौ सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2023 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा

लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए। 25 सरकारी कंपनियों और दो सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरण एक से छः वर्ष की अवधि के लिए बकाया थे।

(अनुच्छेद 7.2.2)

अध्याय 8: कॉरपोरेट गवर्नेंस

चयनित 32 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई थी; छः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने में छः महीने से अधिक की देरी देखी गई; दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने में 12 महीने की देरी देखी गई; तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी; दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में किसी नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था; एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में कोई व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म स्थापित नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 8.2.2, 8.4, 8.5.1, 8.6.1 और 8.7.1)

अध्याय 9: कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

हरियाणा में 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से, जिन्हें अधिनियम के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी, केवल नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने ही इसका अनुपालन किया। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के केंद्र बिंदु क्षेत्र शिक्षा और ग्रामीण विकास थे। सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं का चयन बिना किसी आवश्यकता मूल्यांकन के किया गया था। 11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से सात, जो मानदंडों को पूरा करते थे, द्वारा रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 9.6.1, 9.8.1, 9.8.3 और 9.10)

अध्याय 10: विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

हरियाणा में स्मार्ट सिटी मिशन का कार्यान्वयन

हरियाणा में, स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा दो शहरों अर्थात् फरीदाबाद और करनाल का चयन किया गया था। तदनुसार, दो विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) अर्थात् फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एफएससीएल) और करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड (केएससीएल) का गठन किया गया था।

राज्य के दोनों शहरों के लिए स्मार्ट सिटी प्रस्तावों की तैयारी में नागरिक परामर्श और पिछली योजनाओं की समीक्षा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन नहीं किया जा सका क्योंकि प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

दो शहरों के लिए मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 3,896.82 करोड़ की निधियां उपलब्ध कराने की योजना के विरुद्ध विशेष प्रयोजन माध्यम मुख्य रूप से सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता के माध्यम से केवल ₹ 1,825.86 करोड़ (46.86 प्रतिशत) ही उपलब्ध करा सके। विशेष प्रयोजन माध्यम सरकार से प्राप्त अनुदान का लाभ उठाने में विफल रहे तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों (अर्थात् सार्वजनिक निजी भागीदारी, ऋण और भूमि मुद्रीकरण आदि) से अपेक्षित निधियों की व्यवस्था नहीं की जा सकी। राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं के अभिसरण हेतु वित्त पोषण पैटर्न के संबंध में दिशानिर्देश जारी न किए जाने के कारण विशेष प्रयोजन माध्यम केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण के अंतर्गत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में विफल रहे। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नगर निगम, करनाल के साथ अभिसरण के अंतर्गत ₹ 12.86 करोड़ की केवल चार परियोजनाओं को क्रियान्वित किया।

विशेष प्रयोजन माध्यमों ने स्मार्ट सिटी प्रस्तावों को संशोधित किया और ₹ 1,881.75 करोड़ की 167 परियोजनाओं की योजना बनाई, जिनमें से 152 परियोजनाएं प्रदान की गईं और 112 परियोजनाएं जून 2024 तक पूरी हो गईं। तथापि, केवल 45 परियोजनाएं ही अपनी निर्धारित समय-सीमा में पूरी हो पाईं, जबकि 67 परियोजनाओं को विशुद्ध साईट की कमी, साईट की स्वीकृति में विलंब और ड्राइंग संशोधन जैसे मामलों के कारण तीन से 1506 दिनों तक की देरी का सामना करना पड़ा। करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मिशन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए चयनित क्षेत्र-आधारित विकास क्षेत्र के बाहर नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 356.87 करोड़ का व्यय किया।

मिशन के कार्यान्वयन के लिए नगर स्तर पर निगरानी तंत्र अपर्याप्त था क्योंकि दोनों विशेष प्रयोजन माध्यमों द्वारा नगर स्तरीय निगरानी समिति की 10 बैठकें आयोजित की गईं, जबकि 133 बैठकें आयोजित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, विशेष प्रयोजन माध्यमों ने मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं की तृतीय-पक्ष समीक्षा/प्रभाव का आकलन के लिए कोई एजेंसी नियुक्त नहीं की थी। परिणामस्वरूप, विशेष प्रयोजन माध्यमों द्वारा मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार:

- (i) राज्य में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए मिशन के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के साथ एकीकृत करने के लिए कदम उठाए;
- (ii) मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार चल रही परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करे; और
- (iii) मापदंडों की पहचान करे तथा मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं के प्रभावों के आकलन के लिए तृतीय पक्ष द्वारा समीक्षा करवाए।

(अध्याय 10)

अध्याय 11: अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, निर्धारित समय से अधिक समय तक शेयर आवेदन राशि को अपने पास रखने के हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप शेयर आवेदकों को ₹ 1.20 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

(अनुच्छेद 11.1)

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड ने ठेकेदार को कन्वेंशन सेंटर का कब्जा हस्तांतरित करने के साथ-साथ लाइसेंस करार के निष्पादन में देरी की। नवीनीकरण और उन्नयन अवधि (लाइसेंस फीस के बिना) का विस्तार आशय-पत्र के सहमत निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए दिया गया, जिससे ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ और कंपनी को ₹ 0.68 करोड़ की लाइसेंस फीस आय से वंचित होना पड़ा।

(अनुच्छेद 11.2)